

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर... के तहत रैखित परियोजना निर्माण
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-
28.10.2014 को निर्गत दिशा के तहत)

संख्या- 3238 दिनांक- 04-12-2015

प्रमाणित किया जाता है कि जिले में प्रयोक्ता एजेंसी एस्सार
ऑयल लिमिटेड द्वारा मौजा-कल्याणपुर बजईया (दमिंदरख रोडा १५) रैखित परियोजना निर्माण स्थान
रिजल आउरलेट में प्रवेश से निकाली मार्ग तक कुल कि०मी० ०.०३ में पड़ने वाले
पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के ०.३५३५ हे० रकबा के अपयोजन
(Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के
पत्रांक- ६७६ दिनांक- ०७-०८-२०१५ द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक
विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण
दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है
और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति
की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- समस्तीपुर
तिथि- ०३-१२-२०१५



OR

03/12/15
जिला पदाधिकारी की हस्ताक्षर
एवं मुहर

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as
"Forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in
villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001
and the Census- 2011.

Place:
Dated:

District Magistrate
and Office Seal